राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2017

राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र नेतरा

पीठासीन अधिकारी– श्री विनोदकुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 07/2017
दायरा तिथि 01.02.2017
निर्णय तिथि 16.06.2017

वादीनी– **बनाम** **प्रतिवादीगण–**

श्रीमती संतोष पुत्री पुनारामजी, जाकति मेगवंशी निवासी नेतरा हाल सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)

1–गोपाराम पुत्र नरींगजी
2–धनाराम पुत्र करतारामजी
3–श्रीमती हंजा पुत्री करतारामजी
4–श्रीमती सुकी पुत्री करतारामजी
5–स्व.पीथा पुत्र वेनाजी के का.मु.–
5/1–श्रीमती देवी पुत्री पीथारामजी
तमाम जाति मेगवंशी निवासी नेतरा
तहसील सुमेरपुर जिला पाली
6–तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर
जिला पाली (राज.)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट,1955

–: नि र्ण य :–

निर्णय तिथि 16.06.2017

उपरोक्त प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017 के दौरान केम्प–अटल सेवा केन्द्र नेतरा में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। हमने, राजस्व लोक अदालत की भावना के तहत पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत् मामले में वर्णित वाद–विषयक स्थिति अनुसार वादीनी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वादपत्र कतिपय प्रावधानों के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा नेतरा, पटवार सर्कल नेतरा, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादीनी व प्रतिवादी सं..01 लगाय 05 के संयुक्त कब्जे काश्त की पुश्तैनी खातेदारी कृषि भूमि हाल खसरा नं. 770 रकबा 0.75 हेक्टर किस्म जवाई नहरी द्वितीय, खसरा नं. 772 रकबा 0.38 हेक्टर किस्म जवाई नहरी द्वितीय, खसरा नं. 773 रकबा 0.09 हेक्टर किस्म जवाई नहरी द्वितीय, खसरा नं. 774 रकबा 0.63 हेक्टर किस्म जवाई नहरी द्वितीय, खसरा नं. 787 रकबा 0.05 हेक्टर किस्म जवाई नहरी द्वितीय, खसरा नं. 788 रकबा 0.05 हेक्टर किस्म गै.मु.तेड, खसरा नं. 789 रकबा 0.28 हेक्टर किस्म जवाई नहरी द्वितीय कुल रकबा 2.23 हेक्टर आयी हुई है जिसमें वादीनी का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी सं.01 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं.02 लगाय 04 का संयुक्त 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं.05 का 1/3 हिस्सा खातेदारी का निहित है, उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में निहित हिस्सा अनुसार खातेदारान के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत बंटवाडा करवाये जाने, राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाये जाने तथा वादीनी के बंट–हिस्से की खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं.01 लगाय 05 या उनके कोई प्रतिनिधि किसी प्रकार से दखलंदाजी या हस्तक्षेप नहीं करे, इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी हेतु निर्णय व डिक्री फरमावे।

(2) कि चूंकि प्रश्नगत् मामले में राजस्व लोक अदालत की मंशा के अनुरूप पक्षकारों को सुलभ न्याय उपलब्ध कराने हेतु हमने, पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य–दस्तावेज क्रमशः संबंधित वादग्रस्त कृषि भूमि की हाल जमाबंदी संवत् 2072–75 व नक्शा–ट्रेस के अवलोकन एवं परीक्षण करने के फलस्वरूप वादीनी द्वारा वादपत्र में अभिव्यक्त कथनों व तथ्यों की बखुबी पुष्टि होती है, परन्तु प्रतिवादी सं.02 लगाय 04 ने अपने जवाबदावे में यह जाहिर किया कि

लगातार–2

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner

उपरोक्त हिस्सा मुजब पक्षकारों अर्थात खातेदारों के मध्य वादग्रस्त कृषि भूमि के बारे में मौके पर मात्र 25 सालों बंटवाड़ा हो रखा है जिसके तहत प्रतिवादी नं.02 लगायत 14 के बट में खसरा नं. 770 रकबा 0.75 हेक्टर भूमि आयी हुई है. आपसी बंटवाड़े का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया हुआ नहीं है। इसलिए पूर्व में किए गये बंटवाड़े व मौका स्थिति अनुसार बंटवाड़ा किया जावे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। फलतः प्रस्तुत मामले में हमारी विधिक राय है कि उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि के बारे में पक्षकारों अर्थात खातेदारों के मध्य पूर्व में मौके पर किए हुए बंटवाड़े को ध्यान में रखते हुए एवं राजस्व रेकर्ड की स्थिति अनुसार बाई मेट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत प्रस्तावित बंटवाड़ा रिपोर्ट व नकली नक्शा तैयार कर इस न्यायालय में यथासमय पर भिजवाने हेतु तहसीलदार सुमेरपुर को अधिकृत किया जाना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के परिणामस्वरूप वादीगण का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के कतिपय राजीनामे के तहत स्वीकार एवं प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार सुमेरपुर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व मौजा नेतरा, पटवार हल्का नेतरा, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादीगण व प्रतिवादी सं.01 लगायत 15 को संयुक्त कब्जा काश्त की पुश्तैनी खातेदारी कृषि भूमि हाल खसरा नं. 771 रकबा 0.76 हेक्टर किस्म ज्वाई नहरी द्वितीय, खसरा नं. 772 रकबा 0.38 हेक्टर किस्म ज्वाई नहरी द्वितीय, खसरा नं. 773 रकबा 0.19 हेक्टर किस्म ज्वाई नहरी द्वितीय, खसरा नं. 774 रकबा 0.53 हेक्टर किस्म ज्वाई नहरी द्वितीय, खसरा नं. 787 रकबा 0.15 हेक्टर किस्म ज्वाई नहरी द्वितीय, खसरा नं. 788 रकबा 0.05 हेक्टर किस्म गै.मु.तेड, खसरा नं. 789 रकबा 0.25 हेक्टर किस्म ज्वाई नहरी द्वितीय कुल रकबा 2.23 हेक्टर के बारे में पक्षकारों अर्थात खातेदारों के मध्य पूर्व में मौके पर किए हुए बंटवाड़े को ध्यान में रखते हुए एवं राजस्व रेकर्ड की स्थिति अनुसार बाई मेट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत बंटवाड़ा कर नियमानुसार प्रस्तावित बंटवाड़ा रिपोर्ट व नकली नक्शा दो प्रतियों में तैयार करके इस न्यायालय में यथासमय पर भिजवाना सुनिश्चित करें। निर्णय व प्राथमिक डिक्री–पर्चा की सत्यापित प्रतियां तहसीलदार सुमेरपुर के पास पालनार्थ भिजवायी जावे। माफिक निर्णय, प्राथमिक डिक्री–पर्चा मुर्तिब हो।

यह निर्णय बरोज आज दिनांक 16.06.2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प–नेतरा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)